284

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3258-III/14

एस.एल. द्विवेदी ... आज दि. 25/9/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-9-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- रामदयाल पुत्र स्व. श्री मंगी कुशवाह आयु- लगभग 40 वर्ष

2- नवल किशोर पुत्र स्व. श्री मंगी कुशवाह आयु- 36 वर्ष

3- राज किशोर पुत्र स्व. श्री सरमन कुशवाह आयु- 22 वर्ष समस्त निवासीगण वार्ड नं. 4 वेयर हाउस के पास चनदला रोड लवकुश नगर तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर म.प्र.

--------*निगरानीकर्ता/आवेदक*

बनाम

S.L. Dwivedi Adv 25/9/14

1- नत्थू पुत्र उमराव काछी आयु लगभग 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 4 वेयर हाउस के पास चनदला रोड लवकुश नगर तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर म.प्र.

2- म.प्र. शासन

----*गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण*

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 18/08/2014 पारित कार्यालय राजस्व निरीक्षक लव कुश नगर तहसील लव कुश नगर जिला छत्तरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमाकं 57/3-12/13-14</u>

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3258–तीन/2014 जिला–छतरपुर

रामदयाल आदि विरूद्ध नत्थू व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	6. प्रकरण प्रस्तुत । 7. आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। 8. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 57/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 9. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 10.अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला–छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	